निदेशक सिद्धान्तों तथा मौलिक अधिकारों में अन्तर (Distinction between Directive Principles and Fundamental Rights)

भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों तथा भाग चार में निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार जहां नागरिकों को वैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें उनके सर्वांगीण विकास की आवश्यक शर्त कहा जा सकता है, वहां राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त मनुष्यों के इस सर्वांगीण विकास की आवश्यक परिस्थितियों के निर्माण के लिए कुछ निषेध आज्ञाएं हैं। ग्लेडहिल के अनुसार, "मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेध आज्ञाएं हैं। इनके द्वारा राज्य को यह आदेश दिया गया है कि उसे लोगों के इन अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त इसके विरुद्ध यह बतलाते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए।"

(i) जहां मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू हो सकते हैं, वहां राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त न्यायालयों द्वारा लागू नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में, प्रथम वादयोग्य (Justicable) है तथा द्वितीय वादयोग्य नहीं (non-justicable) है।

(ii) मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं जबकि निदेशक सिद्धान्त सकारात्मक है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति इस रूप में नकारात्मक है कि ये राज्य के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। इसके प्रतिकूल नीति निदेशक सिद्धान्त राज्य को किन्हीं निश्चित कार्यों को करने का आदेश देते हैं।

(iii) जहां मौलिक अधिकारों के द्वारा राजनीतिक लोकतन्त्र की स्थापना की गई है, वहां नीति निदेशक सिद्धान्तों द्वारा आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना होती है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसी कारण इन निदेशकों को घोषणा कहा है - आर्थिक स्वाधीनता की घोषणा।

(iv) मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है जबकि निदेशक सिद्धान्त नैतिक आदेश (Moral Precepts) मात्र हैं। जी. एन. जोशी ने इसी कारण लिखा है कि राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त मानवीय आदर्शवाद के ढेर हैं जिन्हें ऐसे व्यक्तियों ने संगृहीत किया है जो दीर्घकालीन स्वातन्त्र्य संघर्ष के पश्चात् स्वप्निल भावातिरेक की स्थिति में थे।

Avinash

(v) मौलिक अधिकारों को (अनुच्छेद 21 में वर्णित अधिकारों को छोड़कर) अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत घोषित आपातकालीन स्थिति के प्रवर्तन काल में स्थगित किया जा सकता है जबकि निदेशक तत्वों का जब तक क्रियान्वयन नहीं होता तब तक वे स्थायी रूप से स्थगन की अवस्था में ही बने रहते हैं।

(vi) मौलिक अधिकार सार्वभौम (absolute) नहीं है, उन पर कुछ प्रतिबन्ध (limitations) हैं जबकि निदेशक सिद्धान्तों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

पुनः हमारे मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को निदेशक सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई थी। इसी आधार पर कुरैशी बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह विचार प्रकट किया था कि राज्य को चाहिए कि वह निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने के लिए कानून बनाए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए कानूनों से मौलिक अधिकारों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो उनकी सुरक्षा सम्बन्धी धाराएँ निरर्थक समझी जायेंगी। लेकिन प्रारम्भ से ही एक वर्ग का विचार था कि निदेशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। श्री बी. एन. राव ने संविधान निर्माण के समय ही स्पष्ट कहा था कि संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा निदेशक सिद्धान्तों को प्रमुखता दी जानी चाहिए, अन्यथा जनहितकारी व्यवस्थापन सम्भव नहीं हो सकेगा। संविधान का चतुर्थ संशोधन अधिनियम प्रस्तुत करते हुए श्री नेहरू ने कहा था कि "जहां कहीं किसी मौलिक अधिकार एवं निदेशक सिद्धान्त में परस्पर विरोध हो, वहां निदेशक सिद्धान्तों को वरीयता दी जानी चाहिए।

Avinash